राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांकः प.1(1)चिस्वा/ग्रुप–2/2020 . जयपुर, दिनांक : 18.01.2021

आदेश

विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 20.11.2020 के द्वारा कोविड–19 से संक्रमित मरीजों की बढती संख्या के दृष्टिगत राज्य में स्थित ऐसे निजी अस्पताल जिनकी शैय्या क्षमता 100 से अधिक है उनकी कुल शैय्या क्षमता के 40 प्रतिशत तथा जिनकी शैय्या क्षमता 60 से 100 तक है, उनकी कुल शैय्या क्षमता के 30 प्रतिशत बैड्स कोविड–19 मरीजों के उपचार हेतु आरक्षित किये गये थे।

कोविड–19 से संक्रमित मरीजों की घटती संख्या व आमजन को अन्य बीमारियों हेतु सहज व सुलभ उपचार उपलब्ध कराने के दृष्टिगत राज्य के ऐसे निजी अस्पताल जिनकी शैय्या क्षमता 100 या उससे अधिक है, उनकी 10 शैय्याओं को कोविड–19 के उपचार के लिए आरक्षित रखते हुए शेष शैय्याओं को सामान्य उपचार के लिए मुक्त किया जाता है। साथ ही ऐसे निजी चिकित्सालय जिनकी शैय्या क्षमता 60 से 100 तक के बीच है, उनकी सभी शैय्याओं को सामान्य उपचार के लिए मुक्त किया जाता है। भविष्य में आवश्यकता होने पर 24 घण्टे के नोटिस पर कोविड–19 के ईलाज हेतु आवश्यक शैयाओं को पुनः आरक्षित किया जा सकता है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(संजय कुमार)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
2. विशिष्ठ सहायक, मा. चिकित्सा मंत्री महोदय, राजस्थान।
3. विशिष्ठ सहायक, मा. चिकित्सा राज्य मंत्री महोदय, राजस्थान।
4. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान।
7. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
8. संबंधित प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, राज.
9. समस्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जयपुर, राजस्थान।
10. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जोन राजस्थान।
11. संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान।
12. संबंधित प्रमुख चिकित्सा अधिकारी।
13. समस्त निजी चिकित्सालय, राज.।
14. जन सम्पर्क अधिकारी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जयपुर।
15. निजी/रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव